

प्रधानमंत्री आवास योजना

सार्वजनिक सूचना :-



र्सव साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना –सबके लिए आवास संचालित की जा रही है इस योजनान्तर्गत लाभार्थी को निति में वर्णित विभिन्न घटकों के अन्तर्गत आवास हेतु लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक के, अन्तर्गत 15 वर्ष हेतु ₹ 6.00 लाख की धनराशि पर 6.5% : ब्याज सब्सिडी, भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत आवास के विक्रय मूल्य पर ₹ 2.20 लाख की अनुदान राशि तथा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु घटक के अन्तर्गत ₹ 0.20 लाख एवं आवास विस्तार हेतु अधिकतम 2.20 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। सभी आवासहीन परिवारों से प्राथना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर सम्बन्धित च्यू साकेत, किला रोड मेरठ, कार्यालय में स्वयं जमा कर सकते हैं।

Note:-

- ध्यान दें:-
- यह योजना केवल 60 वर्ग मीटर (कार्पेट एरिया) के घरों के लिए उपलब्ध है।
- हस योजना के अन्तर्गत परिवार की संयुक्त आय 6 लाख रुपये वार्षिक से कम होनी चाहिए।
- यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जिनके नाम पर या उनके 18+ अविवाहित बच्चों, पति अथवा पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है आवेदक द्वारा आधार कार्ड और पैन की एक प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
- यह योजना उन्हीं ग्राहकों के लिए है जिनको इस योजना के अन्तर्गत पात्रता हासिल हैं।

Disclaimer : केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री आवास योजना केवल चुनिंदा प्रोजेक्ट पर ही लागू है, माई वैल्यू होम्स मात्र इस बाबत सेवा देगा कि कैसे उक्त योजना का लाभ मिल सकें, जिसके लिए प्रार्थी को कोई शुल्क देय नहीं होगा। प्रार्थी सभी आवश्यक दस्तावेज सम्बन्धित संस्थान को उपलब्ध करवायेगा। पात्रता का निर्णय संस्थान द्वारा ही लिया जायेगा, जिसमें माई वैल्यू होम्स की कोई जबाबदेही नहीं होगी।

Book your first home in New Saket Project & avail subsidy of Rs.2299/-on monthly EMI till 15 year.*
For Eligibility

1. परिवार के मुखिया का नाम*	2. लिंग*	3. आयु
4. पिता/पति का नाम*	5. माता का नाम*	
6. वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा वार्ड नं/नाम*		मकान/फ्लैट/द्वार सं/स्थानीय निकाय* जिला*
गली/मौहल्ले का नाम		
मोबाइल संख्या*		
7. स्थाई पता मकान/फ्लैट/द्वार सं/गली/मौहल्ले का नाम		शहर/गाँव
जिला* मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा		
8. छत के आद्यार पर मकान का प्रकार पक्का(सीमेंट, कंकीट और पत्थर वाला).01		10. रसोई को छाड़ कर्मरों की संख्या
11. आद्यार कार्ड संख्या*		12. धर्म* 13. जाति*
14. बैंक का ब्यौरा बैंक खाता संख्या		IFSC कोड
बैंक का नाम		बैंक की ब्रांच
15. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षी में संख्या		16. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार(कोर्पेट क्षेत्र वर्ग मी० में)
17. क्या विकलांग हैं ?		18. रिहायशी वैवाहिक स्थिति
19. क्या परिवार के पास भारत में कभी भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है?		यदी हां तो सीन
यदी हां तो सीन		यदी हां तो वर्गमी० में भूमि
20. रोजगार की स्थिति		21. परिवार की औसत मासिक आय(रुपय में)
22. क्या परिवार के पास BPL कार्ड हैं ?		यदी हां तो BPL कार्ड संख्या भरें

Note: 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी पूर्णतः सही है संबंधित संस्थान द्वारा जाँच किये जाने पर मैं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बाध्य हूँ।
2. सब्सिडी का निर्णय पूर्णतः भारत सरकार के संबंधित विभाग द्वारा लिया जायेगा।उन्हें बिना बतायें मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अधिकार है।|जोकि मुझको मान्य होगा।

Signature of Applicant / आवेदक के हस्ताक्षर

Date / तारीख